"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 298-अ] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 28 जुलाई 2016—श्रावण 6, शक 1938

गृह विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 जुलाई 2016

शुद्धि-पत्र

क्रमांक एफ-4-126/गृह-सी/2014. — छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10 फरवरी, 2016 में यथा प्रकाशित छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा नियम, 2015 संबंधी अधिसूचना क्रमांक एफ-4-126/गृह-सी/2014, दिनांक 10 फरवरी, 2016 के हिन्दी पाठ में, शब्द "विशेषाधिकार समिति", जहां कहीं भी आये हों, को "विशेष सशक्त समिति" पढ़ा जाये.

No. F-4-126/Home-c/2014. — In the Hindi version of Notification No. F-4-126/Home-c/2014, dated 10th February, 2016 relating to the Chhattisgarh Vishesh Jansurksha Rules, 2015 as published in the Chhattisgarh Gazette (Extra Ordinary) dated 10th February, 2016, for the words "विशेषाधिकार समिति" wherever they occurs, read "विशेष सशक्त समिति".

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.